भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-54

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2021 को दिया जाना है ।

पारेषण एवं वितरण अवसंरचना

***54. श्री राहुल गांधीः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वायनाड में पारेषण और वितरण अवसंरचना में सुधार करने हेतु मंत्रालय को केरल राज्य विद्युत बोर्ड से प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने परियोजना प्रस्ताव को अनुमोदित करके इसके लिये धनराशि संस्वीकृत कर दी है;

(घ) क्या मंत्रालय वायनाड में विद्युत अवसंरचना को सुदृढ़ करने और विद्युत की मांग एवं आपूर्ति के मध्य बढ़ते अंतर को पाटने के लिये वर्तमान में किसी परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) आकांक्षी जिलों संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत वायनाड में पूर्ण की गई एवं निष्पादित की जा रही विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (च) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"पारेषण एवं वितरण अवसंरचना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 04.02.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 54 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) से (च) : भारत सरकार ने राज्य सरकारों को उनकी पारेषण एवं वितरण प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण और सभी घरों तक विद्युत की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई); एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस); प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) (उनके समाहित घटकों सहित) के अंतर्गत 2,02,266 करोड़ रुपये की स्कीमें अनुमोदित की हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत, केरल राज्य को 2786 करोड़ रुपये की परियोजनाएं राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्वीकृत की गई हैं।

विद्युत मंत्रालय को वायनाड, केरल के संसद सदस्य से दिनांक 10.09.2020 का एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसके साथ केरल के कलपेट्टा सर्कल, वायनाड जिले में पारेषण एवं वितरण अवसंरचना में सुधार हेतु केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) की एक डीपीआर की प्रति संलग्न है। डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस स्कीमें वर्ष 2014 में अनुमोदित की गई थीं और इनके समापन की तिथि 31 मार्च, 2022 है और इसलिए इन स्कीमों के अंतर्गत नई परियोजनाएं स्वीकृत करना संभव नहीं होगा। तथापि, वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में, भारत सरकार ने नई सुधार-आधारित तथा परिणामों से जुड़ी वितरण क्षेत्र की स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है जो राज्य सरकारों को उनकी पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के और अधिक सुदृढ़ीकरण तथा उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करेगी। केरल राज्य सरकार उक्त स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएं प्रस्तावित कर सकती है।

घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करना एक ऐसा बेंचमार्क/महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, जिसकी निगरानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत की जाती है तथा नीति आयोग के डैशबोर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वायनाड जिले में विद्युत कनेक्शन वाले घरों का प्रतिशत 100% है।

****

भारत सरकार

विद्‌युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-60

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2021 को दिया जाना है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्‌युत आपूर्ति

***60. श्री संगम लाल गुप्ताः**

क्या **विद्‌युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्‌युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए आरंभ की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अब तक विद्‌युतीकृत न किए गए माजरों (बसावटों) को भी विद्‌युतीकृत घोषित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ सहित उन गांवों के नाम क्या हैं जिन्हें अब तक विद्‌युतीकृत नहीं किया गया है; और

(घ) इन गांवों को कब तक विद्‌युतीकृत किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्‌युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्‌यमशीलता राज्य मंत्री
(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 04.02.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 60 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : भारत सरकार द्वारा दिसंबर, 2014 में, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण; एचटी तथा एलटी लाइनों के निर्माण, वितरण ट्रांसफार्मरों, फीडरों और उपभोक्ताओं के घरों में मीटरिंग; तथा फीडर पृथक्करण को सम्मिलित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ण तथा संवर्धन के उद्देश्यों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की गई थी।

विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत की आपूर्ति करना राज्य के क्षेत्राधिकार में है। तथापि, निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने सभी को 24x7 विद्युत आपूर्ति तथा राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक संयुक्त पहल की है।

भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) सहित अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से प्रत्येक घर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने का उद्देश्य प्राप्त करने में उनकी सहायता करने हेतु राज्यों के प्रयासों में सहायता की है।

(ख) से (घ) : जी, नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यह सूचित नहीं किया है कि किसी भी गैर-विद्युतीकृत मजरों को विद्युतीकृत घोषित किया गया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-506

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2021 को दिया जाना है ।

हाइड्रोजन ईंधन सेल आधरित परियोजना

506. श्री मोहनभाई कुंडारियाः
श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़ः
श्री अनिल फिरोजियाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लेह और दिल्ली के समान मध्य प्रदेश में हाइड्रोजन ईंधन सेल आधरित बस और कार परियोजना शुरू करने के लिए एनटीपीसी द्वारा कोई योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मध्य प्रदेश के उन जिलों के नाम क्या हैं, जहां बैटरी चार्ज़िंग और स्वैपिंग स्टेशन चालू हो गए हैं और जहां इसे शुरू करने की तैयारी चल रही है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : जी नहीं।

(ख) : उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) : देश में हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी किसी वाणिज्यिक परियोजनाओं के बिना उदीयमान अवस्था में है। लेह और दिल्ली में परियोजनाओं को प्रायोगिक परियोजनाओं के रूप में शुरू किया गया है।

(घ) : एनटीपीसी लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में कोई भी बैटरी चार्जिंग/स्वेपिंग स्टेशनों को स्थापित नहीं किया है। तथापि, एनटीपीसी ने मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 12 स्टैंडअलोन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) संस्थापित किए हैं जो कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, भारी उद्योग विभाग द्वारा फेम-II स्कीम के तहत भोपाल में 63 पीएससी और जबलपुर में 24 पीएससी संस्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-545

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2021 को दिया जाना है ।

बिजली की खपत

545. श्री अरूण सावः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में बिजली की खपत में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में विद्युत उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में नई विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : जी, हाँ। विद्युत ऊर्जा खपत वर्ष 2017-18 में 12,04,697 मिलियन यूनिट (एमयू) से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 12,84,444 एमयू हो गई है। व्यस्ततम विद्युत मांग भी वर्ष 2017-18 में 1,60,752 मेगावाट से बढ़कर वर्ष 2020-21 में (31.01.2021 तक) 1,89,644 मेगावाट हो गई है। कोविड-19 महामारी के बावजूद, देश में 1,89,644 मेगावाट की अभी तक की सबसे अधिक व्यस्ततम मांग देखी गई जो आर्थिक विकास का पुनरुत्थान दर्शाती है।

(ख) : जी, हाँ। संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 3,75,323 मेगावाट है जो देश में विद्युत की मांग को पूरा करने लिए पर्याप्त है।

(ग) : देश में विद्युत मांग को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(i) देश में वर्ष 2024-25 तक शुरू की जाने वाली परंपरागत विद्युत उत्पादन क्षमता जिसमें 36,765 मेगावाट ताप विद्युत, 10,164.50 मेगावाट जल विद्युत और 4,800 मेगावाट न्यूक्लियर विद्युत शामिल है, निर्माण के विभिन्न स्तरों पर है।

(ii) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के अंत तक नवीकरणीय स्रोतों से 1,75,000 मेगावाट संस्थापित क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें 1,00,000 मेगावाट सौर ऊर्जा, 60,000 मेगावाट पवन ऊर्जा, 10,000 मेगावाट बायोमास ऊर्जा और 5,000 मेगावाट लघु जल विद्युत शामिल है।

(घ) और (ङ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, विद्युत उत्पवादन एक लाइसेंस रहित गतिविधि है और विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए निवेश निर्णय संबंधित विकासकर्ताओं द्वारा लिया जाता है। तथापि, केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयूज) की नई परियोजनाओं, जिनके लिए केंद्रीय सरकार ने निवेश हेतु अनुमोदन दे दिया है, के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिये गये हैं।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 04.02.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 545 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

केंद्रीय सरकार द्वारा निवेश हेतु अनुमोदन दी गई परियोजनाओं का ब्यौरा

जल विद्युत परियोजनाएं

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**परियोजना का नाम**	**क्षमता मेगावाट में**
1.	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	पकल दुल जल विद्युत परियोजना	1000
2.	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	किरू जल विद्युत परियोजना	624
3.	सिक्किम	तीस्ता-VI जल विद्युत परियोजना	500
4.	अरुणाचल प्रदेश	दिबांग बहु-उद्देशीय परियोजना	2880
5.	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	रत्ले जल विद्युत परियोजना	850
6.	उत्तराखंड	कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना	400
7.	उत्तराखंड	नैतवार मोरी जल विद्युत परियोजना	60
8.	हिमाचल प्रदेश	लुहरी जल विद्युत परियोजना स्टेज-I	210
9.	हिमाचल प्रदेश	धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना	66

ताप विद्युत परियोजनाएं

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**परियोजना का नाम**	**क्षमता मेगावाट में**
1.	बिहार	बक्सर ताप विद्युत परियोजना	2x660
2.	उत्तर प्रदेश	खुर्जा सुपर ताप विद्युत परियोजना	2x660

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-558

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2021 को दिया जाना है ।

डीडीयूजीजेवाई के तहत उपलब्धि

558. श्री दिव्येन्दु अधिकारीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और इसके तहत कितनी ग्राम्य अवसंरचना सृजित हुई हैं तथा देश में कितने गांवों को विद्युतीकृत किया गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को डीडीयूजीजेवाई के क्रियान्वयन और अवसंरचना सृजन में किसी कमी का पता चला है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : भारत सरकार द्वारा दिसंबर, 2014 में देशभर में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) का शुभारंभ किया गया था। जैसाकि राज्यों ने सूचित किया है, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत देशभर में 28 अप्रैल, 2018 तक सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनसंख्या वाले गांव विद्युतीकृत हो गए हैं। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार स्कीम के अंतर्गत कुल 18,374 गांवों को विद्युतीकृत किए जाने के बारे में सूचित किया गया था। डीडीयूजीजेवाई नई परियोजनाएं श्रेणी (दिसंबर, 2020 तक) के अंतर्गत निर्मित अवसंरचना के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	मद	संख्या/सीकेएम
1	सब-स्टेशन (अभिवृद्धि सहित)	3805
2	वितरण ट्रांसफॉर्मर्स	3,68,991
3	फीडर पृथक्करण	1,23,975 सीकेएम

4	11 केवी लाइनें	1,14,877 सीकेएम
5	एलटी लाइनें	2,79,386 सीकेएम
6	33 केवी और 66 केवी लाइनें	21,401 सीकेएम
7	उपभोक्ता ऊर्जा मीटर्स	1,50,27,186
8	वितरण ट्रांसफॉर्मर्स मीटर्स	2,12,153
9	11 केवी फीडर मीटर्स	13,246

(ख) और (ग) : भारत सरकार ने इस स्कीम के प्रचालन के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, नोडल एजेंसी i) टर्नकी संविदाकार का गुणवत्ता नियंत्रण, ii) परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के माध्यम से पीआईए का गुणवत्ता नियंत्रण तथा iii) नोडल एजेंसी अर्थात् आरईसी द्वारा किए गए गुणवत्ता नियंत्रण के तीन स्तरीय तंत्र के माध्यम से कार्यों की गुणवत्ता सहित परियोजनाओं की वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति की निगरानी करेगी।

31.12.2020 तक, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत आरईसी गुणवत्ता जांचकर्ताओं द्वारा पीआईए/डिस्कॉमों को 3,56,847 त्रुटियों की सूचना दी गई है जिसमें से पीआईए/डिस्कॉमों द्वारा 2,84,595 त्रुटियों का सुधार कर लिया गया है। राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध** पर दिए गए हैं।

प्रभावी तरीके से निरीक्षण तथा सुधार का संचालन करने के लिए, नोडल एजेंसी द्वारा एक ऑनलाइन गुणवत्ता पोर्टल 'साक्ष्य' को गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों द्वारा दी गई टिप्पणियों को अपलोड करने तथा डिस्कॉमों/पीआईए द्वारा किए गए अनुपालनों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 04.02.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 558 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

डीडीयूजीजेवाई की नई परियोजनाओं (31.12.2020 की स्थिति के अनुसार) के अंतर्गत त्रुटियों का अवलोकन और त्रुटियों में सुधार का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	त्रुटियों का अवलोकन किया गया	त्रुटियों में सुधार
1	आंध्र प्रदेश	19481	19336
2	अरूणाचल प्रदेश	7556	5578
3	असम	2816	396
4	बिहार	3958	2401
5	छत्तीसगढ़	10043	9858
6	दादरा एवं नगर हवेली	21	0
7	गुजरात	26414	26414
8	हरियाणा	2369	1588
9	हिमाचल प्रदेश	3042	715
10	जम्मू एवं कश्मीर	2433	537
11	झारखंड	21453	8363
12	कर्नाटक	19897	16225
13	केरल	1780	1780
14	मध्य प्रदेश	57501	46366
15	महाराष्ट्र	36524	36426
16	मेघालय	5845	5836
17	मिजोरम	448	108
18	नागालैंड	1026	0
19	ओडिशा	8598	4720
20	पुद्दुचेरी	23	0
21	पंजाब	338	72
22	राजस्थान	81919	63615
23	तमिलनाडु	1793	1618
24	तेलंगाना	9196	7432
25	त्रिपुरा	269	240
26	उत्तर प्रदेश	20832	18204
27	उत्तराखंड	5422	3428
28	पश्चिम बंगाल	5850	3339
कुल		**356847**	**284595**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-594

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2021 को दिया जाना है ।

प्रत्येक परिवार को बिजली

594. श्री सुनील बाबूराव मेंढेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में प्रत्येक परिवार को बिजली प्रदान करने के सरकारी लक्ष्य की क्या स्थिति है;

(ख) भंडारा और गोंडिया सहित महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 31 दिसंबर, 2020 तक कितने परिवारों को बिजली प्रदान की गई है और कितने पंजीकृत परिवारों के पास बिजली नहीं है; और

(ग) 'सौभाग्य' योजना के अंतर्गत 31 दिसंबर, 2020 तक महाराष्ट्र को कितनी निधियां आवंटित और अनुमोदित की गई हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य का शुभारंभ किया जिसका उद्देश्य मार्च, 2019 तक देश में ग्रामीण क्षेत्रों के सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करके घरों का सार्वभौमिक विद्युतीकरण करना था। 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद (एलडबल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 घरों को छोड़कर, सभी राज्यों ने सौभाग्य पोर्टल पर समस्त घरों के विद्युतीकरण की घोषणा की है। तदनुसार, सात राज्यों नामतः असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश ने सूचित किया है कि 31.03.2019 से पहले चिन्हित 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घरों ने, जो पहले अनिच्छुक थे, उन्होंने बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है। राज्यों को सौभाग्य के तहत इन घरों का विद्युतीकरण करने के लिए कहा गया है। इनमें से, 31.12.2020 तक 18.57 लाख घरों को विद्युतीकृत किया गया है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा नवीनतम स्थिति अर्थात 31.12.2020 तक सूचना दी गई है जिसमें यह सूचित किया गया कि राज्य में लगभग 99.7% घर (अर्थात कुल 2,53,87,465 में से 2,53,12,350) विद्युतीकृत हो गए हैं। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1,26,58,036 घरों (99.65%) का विद्युतीकरण किया गया है। महाराष्ट्र में भंडारा और गोंदिया जिले सहित घरों के विद्युतीकरण से संबंधित जिला-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) : सौभाग्य योजना के अंतर्गत किसी भी राज्य/जिले को अग्रिम आबंटन नहीं किया गया है। स्वीकृत परियोजनाओं को पिछली किश्तों में जारी निधियों का उपयोग की सूचना देने और निर्धारित शर्तों की पूर्ति के आधार पर किश्तों में निधियाँ जारी की जाती हैं। तदनुसार, महाराष्ट्र राज्य के लिए 405.89 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएं संस्वीकृत की जा चुकी हैं जिनमें से 31.12.2020 तक 198 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में संवितरित किए जा चुके हैं।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 04.02.20201 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 594 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

महाराष्ट्र में ग्रामीण घरों के विद्युतीकरण का जिला-वार विवरण (दिसंबर, 2020 तक)

क्रम सं.	जिले का नाम	विद्युतीकृत घर
1	औरंगाबाद	383053
2	जालना	201939
3	बीड	278198
4	लातूर	310943
5.	ओस्मानबाद	252656
6	हिंगोली	137119
7	नांदेड़	360016
8	परभनी	143431
9	रायगढ़	553985
10	ठाणे	333960
11	धुले	249471
12	जलगांव	495745
13	नंदुरबार	139349
14	पालघर	473971
15	रत्नगिरि	446081
16	सिंधुदुर्ग	262770
17	ए-नगर	614406
18	नासिक	537334
19	अकोला	229419
20	बुलढाणा	389830
21	वाशिम	182390
22	अमरावती	382088
23	यवतमाल	392403
24	चंदापुर	233448
25	गढ़चिरौली	281932
26	भंडारा	234117
27	गोंदिया	258732
28	नागपुर	420007
29	वर्धा	241233
30	सतारा	650805
31	सोलापुर	493788
32	कोल्हापुर	686967
33	सांगली	475316
34	पुणे	931134
कुल		**12658036**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-599

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2021 को दिया जाना है ।

प्रति व्यक्ति विद्युत खपत

599. श्री हरीश द्विवेदीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अंतर्राज्यीय प्रति व्यक्ति विद्युत खपत में अंतर बढ़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। गत तीन वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति विद्युत खपत अर्थात् वर्ष 2017-18 में 2041 केडब्ल्यूएच, वर्ष 2018-19 में 2066 केडब्ल्यूएच तथा वर्ष 2019-20 में 2064 केडब्ल्यूएच में अंतर-राज्यीय अंतर (अधिकतम-न्यूनतम) लगभग समान रहा है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 04.02.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 599 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

प्रति व्यक्ति खपत (केडब्ल्यूएच)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2017-18	2018-19	2019-20
चंडीगढ़	1004	978	986
दिल्ली	1564	1548	1572
हरियाणा	1990	2082	2229
हिमाचल प्रदेश	1393	1418	1527
जम्मू एवं कश्मीर	1284	1322	1384
पंजाब	2049	2046	2171
राजस्थान	1178	1282	1317
उत्तर प्रदेश	628	606	629
उत्तराखण्ड	1450	1467	1528
उप-जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	**1031**	**1045**	**1089**
छत्तीसगढ़	2003	1961	2044
गुजरात	2321	2378	2388
मध्य प्रदेश	1020	1084	1086
महाराष्ट्र	1371	1424	1418
दमन एवं दीव	7902	7758	7561
दादर एवं नगर हवेली	15218	15179	15517
गोवा	2229	2274	2396
उप-जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	**1573**	**1622**	**1631**
आंध्र प्रदेश	1388	1480	1507
तेलंगाना	1727	1896	2071
कर्नाटक	1356	1396	1468
केरल	766	757	826
तमिलनाडु	1834	1866	1844
पुडुचेरी	1749	1745	1752
लक्षद्वीप	563	554	551
उप-जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	**1465**	**1525**	**1577**
बिहार	280	311	332
झारखंड	927	938	853
ओडिशा	1593	1628	1559
पश्चिम बंगाल	699	703	757
सिक्किम	810	873	929
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप	569	597	585
उप-जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	**706**	**726**	**731**
अरुणाचल प्रदेश	656	703	631
असम	330	341	348
मणिपुर	347	371	385
मेघालय	743	881	861
मिजोरम	490	617	629
नागालैंड	348	356	367
त्रिपुरा	714	514	425
उप-जोड़ (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	**401**	**407**	**402**
कुल अखिल भारत	**1149**	**1181**	**1208**
अधिकतम (डीएनएच)	15218	15179	15517
अधिकतम (गुजरात/गोवा 2019-20)	2321	2378	2396
न्यूनतम (बिहार)	280	311	332
अंतर (अंतर राज्य)	**2041**	**2066**	**2064**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-607

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2021 को दिया जाना है ।

भवन निर्माण संहिता के अन्तर्गत ऊर्जा कौशल

607. श्री जसबीर सिंह गिलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत की भवन निर्माण संहिताएं आवास और निर्माण के लिए ऊर्जा कुशल उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इमारतों में ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करने के लिए भवन निर्माताओं को क्या प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऊर्जा दक्षता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भवन निर्माताओं के बीच कोई जागरूकता अभियान चलाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपकरणों की ऊर्जा दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रदर्शन प्रमाणन और रेटिंग प्रणाली मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करने वाले भवन निर्माताओं का वित्तपोषण बढ़ाने के लिए अंतर-मंत्रालयी सहयोग अपनाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) निर्धारित की है जो वाणिज्यिक भवनों के ऊर्जा दक्ष डिजाइन और निर्माण के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करती है। यह

संहिता उन भवनों या भवन परिसरों पर लागू होती है जिनमें 100 किलोवाट या उससे अधिक का कनेक्टेड लोड या 120 केवीए या उससे अधिक की अनुबंध मांग होती है। इस संहिता के प्रावधान भवन आवरणों; यांत्रिक प्रणालियां और हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सहित उपकरणों; आंतरिक और बाहरी प्रकाश व्यवस्था; और विद्युत ऊर्जा और मोटर्स और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों पर लागू होते हैं।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने ईको निवास संहिता (ईएनएस) शुरू की है जो आवासीय प्रयोजन के लिए भवनों की ऊर्जा दक्ष डिजाइन और निर्माण हेतु न्यूनतम आवश्यकताएं निर्धारित करती है।

साथ ही, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने ऊर्जा दक्ष सामग्री के इस्तेमाल को बढ़ावा देने हेतु सीपीडबल्यूडी द्वारा उपयोग के लिए राष्ट्रीय भवन संहिता-2016 (एनबीसी), सीपीडब्ल्यूडी ग्रीन रेटिंग निर्देशिका-2019 और ईको निवास संहिता 2019 निर्धारित की है।

वर्तमान में, भवनों में ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग करने के लिए भवन निर्माताओं को प्रोत्साहन देने की कोई योजना नहीं है।

(ग) : ईसीबीसी के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), विद्युत मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय ने विभिन्न पणधारकों जैसे विकासकर्ताओं, भवन निर्माताओं, वास्तुविदों और इंजीनियरों के लाभ के लिए 572 ईसीबीसी प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा 366 जागरूकता वेबिनार आयोजित किए हैं। इसके अतिरिक्त, बीईई द्वारा विकासकर्ताओं, भवन निर्माताओं और वास्तुविदों के लिए ईएनएस पर 100 से अधिक जागरूकता विकास कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी), भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय ने भी सभी पणधारकों के साथ ग्रीन हाउसिंग पर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण पहल के तहत 7 प्रशिक्षण और संवर्धनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

(घ) : बीईई मानक और लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न ऊर्जा खपत उपकरणों की ऊर्जा बचत क्षमता के बारे में एक सूचित विकल्प प्रदान करना है। यह कार्यक्रम 1 से 5 स्टार के पैमाने पर रेटिंग किए गए उपकरणों/उपस्करों के लिए न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन स्तर निर्धारित करता है, जिसमें 5 स्टार सर्वाधिक ऊर्जा दक्ष होता है। अभी तक, 28 उपकरण एस एंड एल कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, जिनमें से 10 उपकरण अनिवार्य व्यवस्था के अधीन हैं और शेष 18 स्वैच्छिक व्यवस्था के अधीन हैं। एस एंड एल कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए उपकरणों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने उपकरणों और उपस्करों के लिए कई भारतीय मानक प्रकाशित किए हैं, जिसमें ऊर्जा दक्षता के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है, जिन्हें संक्षेप में निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है:-

- आईएस 12615:2018 लाइन ऑपरेटिड थ्री फेस एसी मोटर्स (आईई संहिता) "एफिशिएंसी क्लासिज एंड परफ़ोर्मेंस स्पेसिफिकेशन" (तृतीय संशोधन);
- आईएस 1391 (भाग 1): 2017 रूम एयर कंडीशनर्स- स्पेसिफिकेशन: भाग 1 यूनिटरी एयर कंडीशनर्स (तृतीय संशोधन);
- आईएस 1391 (भाग 2): 2018 रूम एयर कंडीशनर्स- स्पेसिफिकेशन: भाग 2 स्प्लिट एयर कंडीशनर्स (तृतीय संशोधन); आईएस 8148: 2018 डक्टेड एवं पैकेज एयर कंडीशनर्स- स्पेसिफिकेशन (द्वितीय संशोधन); तथा
- आईएस 16590:2017 वाटर कूल्ड चिलिंग पैकेज यूजिंग द वेपर कंप्रेशन साइकिल-स्पेसिफिकेशन।

ये भारतीय मानक ऊर्जा दक्षता आवश्यकताओं के साथ-साथ उसे मापने के तरीकों को भी निर्दिष्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त मानकों के नवीनतम संस्करण के अनुसार उपकरणों का उपयोग एनबीसी 2016 में निर्धारित किया गया है।

(ङ) और (च) : भारत में "एनर्जी एफिशिएंट न्यू रेजिडेंशियल हाउसिंग" के वित्तपोषण के लिए एनएचबी ने वर्ष 2010 में केएफ़डबल्यू, जर्मनी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए थे। जिसके तहत, एनएचबी को 50 मिलियन यूरो का ऋण दिया गया था। इन निधियों का उपयोग लगभग 380 करोड़ रुपये की ऊर्जा दक्ष इकाइयों के लिए विभिन्न प्राथमिक ऋण देने वाले संस्थानों (पीएलआईएस) द्वारा दिए गए 2000 आवास ऋणों के लिए किया गया था।

एनएचबी ने "प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा वित्त (एसयूएनआरईएफ़) हाउसिंग इंडिया के सतत उपयोग" परियोजना के लिए तकनीकी सहायता अनुदान के तहत 100 मिलियन यूरो और 12 मिलियन यूरो के ऋण का लाभ उठाने के लिए एजेंस फ्रेंचाइज डी डेवलेपमेंट (एएफ़डी), फ्रांस के साथ एक क्रेडिट सुविधा करार और वित्तपोषण करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं। एसयूएनआरईएफ़ इंडिया कार्यक्रम हरित आवास को निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए अधिक किफायती बनाने, आवास के लिए मौजूदा स्थानीय हरित लेबल को बढ़ावा देने और बाजार क्षमता का प्रदर्शन करने और भारतीय संदर्भ में हरित आवास की प्रासंगिकता पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम के तहत, एनएचबी की दो पुनर्वित्तपोषण स्कीमें हैं, जिनमें 481 करोड़ रुपये से अधिक का संवितरण किया गया है।

****

<u>अनुबंध</u>

लोक सभा में दिनांक 04.02.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 607 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

एस एंड एल कार्यक्रम के तहत शामिल उपकरण

क्रम सं.	**अनिवार्य उपकरण**	**क्रम सं.**	**स्वैच्छिक उपकरण**
1.	रूम एयर कंडीशनर्स	1.	इंडक्शन मोटर्स
2.	फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स	2.	एग्रीकल्चर पंप सेट्स
3.	ट्यूबुलर फ़्लोरोसेंट लैंप	3.	छत के पंखे
4.	वितरण ट्रांसफॉर्मर	4.	तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)- स्टोव
5.	रूम एयर कंडीशनर्स (कैसेट, फ्लोर स्टैंडिंग)	5.	वॉशिंग मशीन
6.	डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर	6.	कंप्यूटर (नोटबुक/लैपटॉप)
7.	कलर टीवी	7.	बैलस्ट (इलेक्ट्रोनिक/चुंबकीय)
8.	इलेक्ट्रिक गीजर्स	8.	कार्यालयी उपस्कर (प्रिंटर, कॉपीयर, स्कैनर्स, मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले)
9.	वैरिएबल कैपेसिटी इनवर्टर एयर कंडीशनर्स	9.	डीजल इंजन चालित मोनो सेट पंप, सब्मर्सिबल और ओपन वेल
10.	एलईडी लैंप	10.	सॉलिड स्टेट इनवर्टर
		11.	डीजल जेनरेटर सेट
		12.	चिलर
		13.	माइक्रोवेव अवन
		14.	सोलर वाटर हीटर
		15.	लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर्स
		16.	डीप फ्रीजर्स
		17.	एयर कम्प्रेशर्स
		18.	अल्ट्रा हाई डेफ़िनेशन टीवी

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-627

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2021 को दिया जाना है ।

विद्युत वित्त आयोग

627. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विद्युत वित्त आयोग (पीएफसी) द्वारा दिए गए ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएफसी द्वारा दिए गए ऋण की प्रकृति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान पीएफसी द्वारा तेलंगाना राज्य को दिए गए ऋण का नियमों और शर्तों सहित ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2017-18, 2018-19, 2019-20 और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 (दिसंबर 2020 तक) के दौरान पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) द्वारा सरकारी और निजी क्षेत्र को संस्वीकृत एवं संवितरित ऋणों का विवरण **अनुबंध-क** में संलग्न है।

(ग) : पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2017-18, 2018-19, 2019-20 और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 (दिसंबर, 2020 तक) के दौरान तेलंगाना राज्य को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) द्वारा सरकारी और निजी क्षेत्र को संस्वीकृत एवं संवितरित ऋणों का विवरण **अनुबंध-ख** में संलग्न है।

सरकारी क्षेत्र/निजी क्षेत्र की परियोजनाओं हेतु ऋण के लिए प्रमुख निबंधन और शर्तों का संक्षिप्त विवरण **अनुबंध-ग** में संलग्न है।

****

अनुबंध-क

लोक सभा में दिनांक 04.02.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 627 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2017-18, 2018-19, 2019-20 और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 (दिसंबर 2020 तक) के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र को दिए गए ऋणों का विवरण:-

(करोड़ रुपए में)

	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21 31.12.2020 तक	
	संस्वीकृति	संवितरण	संस्वीकृति	संवितरण	संस्वीकृति	संवितरण	संस्वीकृति	संवितरण
सरकारी क्षेत्र	87,680	50,079	61,765	63,161	92,820	59,180	118,608	53,459
निजी क्षेत्र	10,481	14,335	15,667	4,516	18,280	8,816	24,771	6,485
कुल	98,161	64,414	77,432	67,677	111,100	67,996	143,379	59,944

टिप्पणी : पीएफसी का वित्तपोषण राज्य/केंद्र/निजी क्षेत्र की विद्युत संस्थाओं के लिए मुख्य रूप से सावधिक ऋण के माध्यम से होता है।

****

अनुबंध-ख

लोक सभा में दिनांक 04.02.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 627 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2017-18, 2018-19, 2019-20 के दौरान और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 (दिसंबर, 2020 तक) तेलंगाना राज्य को पीएफसी द्वारा सरकारी और निजी क्षेत्र को दिए गए ऋणों का विवरण:-

(करोड़ रुपए में)

	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21 31.12.2020 तक	
	संस्वीकृति	संवितरण	संस्वीकृति	संवितरण	संस्वीकृति	संवितरण	संस्वीकृति	संवितरण
सरकारी क्षेत्र	15,991	8,367	14,229	16,742	21,506	14,313	14,868	10,395
निजी क्षेत्र	582	1,502	-	233	138	52	210	77
कुल	16,573	9,869	14,229	16,975	21,644	14,365	15,078	10,472

****

<u>अनुबंध-ग</u>

लोक सभा में दिनांक 04.02.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 627 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

सरकारी क्षेत्र/निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को ऋण के लिए प्रमुख निबंधन और शर्तों का संक्षिप्त विवरण

<table>
<tr><td colspan="2">सरकारी क्षेत्र</td></tr>
<tr><td>अधिकतम ऋण पात्रता</td><td>उत्पादन परियोजनाओं के लिए कुल लागत का 80% और पारेषण/ वितरण परियोजनाओं की 90% लागत तक।</td></tr>
<tr><td>अधिस्थगन अवधि</td><td>मूल राशि के भुगतान के लिए परियोजना के समापन से 1 वर्ष। ब्याज भुगतान पर कोई अधिस्थगन नहीं</td></tr>
<tr><td>पुनर्भुगतान अवधि</td><td>अधिस्थगन अवधि सहित परियोजना की अवधि का 80% तक (अर्थात 25 वर्ष अवधि वाली परियोजना के लिए 20 वर्ष)</td></tr>
<tr><td>ब्याज दर</td><td>ऋणकर्ता की रेटिंग से संबद्ध (ए++ से सी तक की रेंज)
ब्याज पुनःनियोजन के लिए 3 वर्ष/10 वर्ष का विकल्प</td></tr>
<tr><td>प्रतिभूति</td><td>• सरकारी गारंटी या परिसंपत्तियों पर प्रभार
• ऋण की समग्र लंबित अवधि के लिए निलंब लेखा</td></tr>
<tr><td>अतिरिक्त निबंधन एवं शर्तें</td><td>• प्रोत्साहक एवं परियोजना मूल्यांकन पर आधारित</td></tr>
<tr><td colspan="2">निजी क्षेत्र</td></tr>
<tr><td>अधिकतम ऋण पात्रता</td><td>
<table>
<tr><td>श्रेणी</td><td>विवरण (परियोजना लागत के % के रूप में)</td></tr>
<tr><td>नवीकरणीय/पारेषण*</td><td>50</td></tr>
<tr><td>ताप विद्युत</td><td>20</td></tr>
<tr><td>जल-विद्युत</td><td>25</td></tr>
</table>
* सौर/पवन परियोजनाओं के मामले में, कुछ मानदंडों को पूरा करने पर संपूर्ण ऋण तक का विवरण लिया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>अधिस्थगन अवधि</td><td>मूल राशि के भुगतान के लिए परियोजना के समापन से 1 वर्ष। ब्याज भुगतान पर कोई अधिस्थगन नहीं</td></tr>
<tr><td>पुनर्भुगतान अवधि</td><td>अधिस्थगन अवधि सहित परियोजना की अवधि का 80% तक (अर्थात 25 वर्ष अवधि वाली परियोजना के लिए 20 वर्ष)</td></tr>
<tr><td>ब्याज दर</td><td>ऋणकर्ता की एकीकृत रेटिंग से संबद्ध (आईआर 1 से आईआर 5 तक की रेंज)

नीति के अनुसार ब्याज पुनःनियोजन के लिए 1 वर्ष/3 वर्ष/10 वर्ष का विकल्प</td></tr>
<tr><td>प्रतिभूति</td><td>• परियोजना के चल और/या अचल परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार
• परियोजना दस्तावेजों, ऋण चुकौती रिजर्व लेखा आदि की सुपुर्दगी
• 76% तक शेयरों के गिरवी के रूप में संपार्श्विक और मूल्यांकन के आधार पर कॉर्पोरेट गारंटी/व्यक्तिगत गारंटी</td></tr>
<tr><td>अतिरिक्त निबंधन एवं शर्तें</td><td>• प्रोत्साहक एवं परियोजना मूल्यांकन पर आधारित</td></tr>
</table>

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-640

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2021 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र को छूट

640. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र को एक बार की (वन टाइम) छूट देने की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की छूट देने के क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या कोविड-19 महामारी के कारण विद्युत क्षेत्र को हुए वित्तीय नुकसान का ब्यौरा प्राप्त करने के लिए कोई आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा स्वीकृत छूट से इस क्षेत्र को कितना प्रोत्साहन मिलने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : कोविड-19 महामारी के प्रादुर्भाव से विद्युत क्षेत्र में उभरी लिक्विडिटी की समस्या को मानते हुए और उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत की आपूर्ति करने के लिए, भारत सरकार ने 13 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में लिक्विडिटी निषेचन स्कीम की घोषणा की। स्कीम के अंतर्गत, पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और आरईसी लिमिटेड द्वारा 30.06.2020 को मौजूद, विद्युत देय राशियों के रूप में राज्य सरकारों से डिस्कॉमों की प्राप्तियों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) उत्पादन कंपनियों (जेनकोज) और पारेषण कंपनियों (ट्रांसकोज), स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईआईपीज) और नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) उत्पादकों के प्रति उनकी बकाया देय राशियों का निपटान करने के लिए संवितरित नहीं की गई सब्सिडी के प्रति विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) को रियायती दरों पर विशिष्ट दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए गए हैं।

इसके अलावा, ऐसे डिस्कॉमों से जिनके पास उज्ज्वल डिस्कॉम एश्यारेंस योजना (उदय) के अंतर्गत यथा अधिरोपित, उनके पिछले वर्षों के राजस्व की 25% की कार्यशील पूंजीगत सीमा के अंतर्गत पर्याप्त शीर्षांतर नहीं है अर्थात् राज्य सरकारों से पर्याप्त प्राप्तियां नहीं है, भारत सरकार ने इन ऋणों को देने के लिए पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और आरईसी लिमिटेड को एक बार की छूट देने का भी अनुमोदन किया है।

साथ ही साथ, डिस्कॉमों द्वारा विद्युत की शैड्यूलिंग के लिए, सरकार ने विद्युत की लागत अपेक्षित 100% से 50% तक घटाते हुए साख पत्र उपलब्ध कराने की शर्त में छूट दी है। डिस्कॉमों को विलंबवित भुगतान अधिक प्रभार को 18% प्रति वर्ष से 12% प्रति वर्ष तक घटाकर राहत भी दी गई है। ये उपाय विशेषकर 24.03.2020 से 30.06.2020 के दौरान उत्पन्न हुई देय राशियों के लिए लागू किए गए हैं। आत्म निर्भर भारत के भाग के रूप में, विद्युत मंत्रालय ने सभी सीपीएसई जेनकोज एवं ट्रांसकोज; और विद्युत उत्पादन की सहायक/संयुक्त उपक्रमों तथा पारेषण सीपीएसईज से, शेड्यूल नहीं की गई विद्युत के क्षमता प्रभारों के विलंबन पर लॉकडाउन अवधि समाप्त होने के बाद बिना ब्याज की तीन समान मासिक किस्तों में देय और डिस्कॉमों को बिल की गई विद्युत आपूर्ति की निर्धारित लागत पर विचार करने और पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) द्वारा लगाए गए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों पर 20-25% की रिबेट, जो लगभग 2985 करोड़ रुपये होगी, देने का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) : इस मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31.03.2020 से 30.06.2020 की अवधि के लिए डिस्कामों को राज्य सरकारों की देय राशियों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) उत्पादन कंपनियों और पारेषण कंपनियों (ट्रांसकोज), स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईआईपीज) और नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) उत्पादकों को डिस्कॉमों की देय राशियां क्रमश: 14,619 करोड़ रुपये और 45,505 करोड़ रुपये से बढ़ गई थी।

(ङ) : अभी तक, आरईसी और पीएफसी द्वारा राज्यों/डिस्कॉमों को 1,25,000 करोड़ रुपये के ऋण संस्वीकृत और 46,074 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इसने देश भर में कोविड अवधि के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति को जारी रखा। इन प्रयासों से लिक्विडिटी के मुद्दों में हुई कमी ने विद्युत क्षेत्र को 189.64 गीगावाट की अभी तक की अधिकतम व्यस्ततम मांग की पूर्ति के लिए 30 जनवरी, 2021 को समर्थ बनाया।

****

भारत सरकार

विद्‌युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-641

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2021 को दिया जाना है ।

बीपीएल परिवारों को निःशुल्क विद्‌युत

641. डॉ. डी. रविकुमारः

क्या **विद्‌युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत आबंटित आवासों में रहने वाले बीपीएल परिवारों को निःशुल्क बिजली देने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में कार्यान्वित निःशुल्क विद्‌युत योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विद्‌युत की खपत के संबंध में उद्‌योगों को सरकार द्‌वारा दी गई छूट का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्‌युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्‌यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क), (ख) और (घ) : विद्‌युत एक समवर्ती सूची का विषय है और औद्‌योगिक उपभोक्ताओं सहित किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं को नि:शुल्क विद्‌युत या सब्सिडी या रियायतें प्रदान करना विद्‌युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ग) : भारत सरकार ने अक्टूबर 2017 में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्‌युतीकृत घरों और देश भर में शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से गरीब व्यक्तियों के शेष गैर-विद्‌युतीकृत घरों को नि:शुल्क विद्‌युत कनेक्शन प्रदान करके घरों का सार्वभौमिक विद्‌युतीकरण प्राप्त करने के लिए प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य का शुभारंभ किया।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-680

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2021 को दिया जाना है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

680. श्री राजा अमरेश्वर नाईकः
श्री विनोद कुमार सोनकरः
डॉ. सुकान्त मजूमदारः
श्री भोला सिंहः
श्री निशीथ प्रामाणिकः
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः
डॉ. जयंत कुमार रायः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) सहित विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त योजनाओं में से प्रत्येक के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित और हासिल किए गए हैं;

(ग) उक्त योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवंटित और उपयोग किए गए धन का योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने लंबित योजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण; एचटी तथा एलटी लाइनों के निर्माण, वितरण ट्रांसफार्मरों, फीडरों और उपभोक्ताओं के घरों में मीटरिंग; तथा फीडर पृथक्करण सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा संवर्धन के उद्देश्यों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिसंबर, 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की गई

थी। उसी प्रकार, देश के ग्रामीण और शहरी गरीब घरों के विद्युतीकरण हेतु अक्तूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य शुरू की गई थी।

(ख) और (ग) : देश के ग्रामीण और शहरी गरीब घरों के विद्युतीकरण हेतु अक्तूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य शुरू की गई थी। इस स्कीम को देश में सभी घरों के सार्वभौमिक विद्युतीकरण के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया है और 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ के वामपंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के 18,734 घरों को छोड़कर सभी राज्यों द्वारा लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। तदोपरांत, 7 राज्यों नामतः असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने सूचित किया था कि 31.03.2019 से पहले अभिचिन्हित 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घरों में जो पहले अनिच्छुक थे किंतु अब उन्होंने विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए इच्छा व्यक्त की थी। राज्यों से सौभाग्य के अंतर्गत इन घरों का विद्युतीकरण करने के लिए कहा गया था। इनमें से, 31.12.2020 तक 18.57 लाख घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के एलडब्ल्यूई क्षेत्रों के शेष घरों का 31 मार्च, 2021 तक विद्युतीकरण किए जाने के लिए समय विस्तार दिया गया है।

वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति के ब्यौरे क्रमश: **अनुबंध-I** एवं **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं। सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ से कुल 2.81 करोड़ घर विद्युतीकृत किए गए हैं जिनका ब्यौरा **अनुबंध-I** पर संलग्न है।

(घ) : विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सौभाग्य और डीडीयूजीजेवाई स्कीम के क्रियान्वयन हेतु संस्वीकृत, जारी की गई और उपयोग की गई राशि का स्कीम-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्रमश: **अनुबंध-III** एवं **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

(ङ) : सौभाग्य के अंतर्गत घरों के विद्युतीकरण की लक्षित तारीख उपरोक्त भाग (ख) और (ग) में दिए गए उत्तर के अनुसार है। इसके अलावा, डीडीयूजीजेवाई समापन वर्ष में है और 31 मार्च, 2022 तक पूरी होने के लिए शेड्यूल है।

(च) : मंत्रालय में उच्च स्तर पर स्कीमों के क्रियान्वयन की प्रगति की नियमित निगरानी की जाती है। नियमित अंतराल पर राज्यों के साथ बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी राज्य विशिष्ट मुद्दे प्रभावी रूप से हल किए जाते हैं, स्कीम के अंतर्गत गठित संबंधित निगरानी समिति द्वारा क्रियान्वयन की स्थिति की भी निगरानी की जाती है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 04.02.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 680 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

सौभाग्य - वास्तविक प्रगति राज्य-वार

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विद्युतीकरण घरों की (संख्या)			
		11.10.2017 से 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	01.04.2019 से 31.12.2020 तक प्रगति	11.10.2017 से 31.12.2020 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	31.12.2020 तक शेष गैर-विद्युतीकृत घर
1	आंध्र प्रदेश	1,81,930		1,81,930	
2	अरूणाचल प्रदेश	47,089		47,089	
3	असम	17,45,149	2,00,000	19,45,149	
4	बिहार	32,59,041		32,59,041	
5	छत्तीसगढ़	7,49,397	38,005	7,87,402	2,389
6	गुजरात	41,317		41,317	
7	हरियाणा	54,681		54,681	
8	हिमाचल प्रदेश	12,891		12,891	
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,87,501		3,87,501	
10	झारखंड	15,30,708	1,74,571	17,05,279	25,429
11	कर्नाटक	3,56,974	26,824	3,83,798	
12	केरल	3.19 लाख घरों का पुन:-विद्युतीकरण (जो बाढ़ में गैर-विद्युतीकृत हो गए थे)			
13	लद्दाख				
14	मध्य प्रदेश	19,84,264		19,84,264	
15	महाराष्ट्र	15,17,922		15,17,922	
16	मणिपुर	1,02,748	5,367	1,08,115	
17	मेघालय	1,99,839		1,99,839	
18	मिजोरम	27,970		27,970	
19	नागालैंड	1,32,507		1,32,507	
20	ओडिशा	24,52,444		24,52,444	
21	पुद्दुचेरी	912		912	
22	पंजाब	3,477		3,477	
23	राजस्थान	18,62,736	2,12,786	20,75,522	
24	सिक्किम	14,900		14,900	
25	तमिलनाडु	2,170		2,170	
26	तेलंगाना	5,15,084		5,15,084	
27	त्रिपुरा	1,39,090		1,39,090	
28	उत्तर प्रदेश	79,80,568	12,00,003	91,80,571	
29	उत्तराखंड	2,48,751		2,48,751	
30	पश्चिम बंगाल	7,32,290		7,32,290	
	कुल	**2,62,84,350**	**18,57,556**	**2,81,41,906**	**27,818**

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 04.02.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 680 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (31.12.2020 तक) के दौरान सौभाग्य और डीडीयूजीजेवाई स्कीम के क्रियान्वयन हेतु संस्वीकृत, जारी की गई और उपयोग की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	संस्वीकृत लागत (ग्रामीण +शहरी)	31.12.2020 तक जारी किया गया अनुदान					राज्यों द्वारा खर्च
			2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	Total	
1	अरूणाचल प्रदेश	323		138.86	13.79		152.65	142.07
2	असम	973	41.99	402.71	120.92	37.01	602.63	602.63
3	बिहार	926	115.40	198.78	136.25	17.10	467.54	467.54
4	छत्तीसगढ़	648	42.81	219.00	32.01	42.06	335.87	335.72
5	हरियाणा	18			2.98		2.98	2.98
6	हिमाचल प्रदेश	6		0.82	2.89		3.72	3.72
7	जम्मू एवं कश्मीर	133.43	1.81	51.43			53.24	36.86
8	झारखंड	887.11	69.71	82.72	4.31		156.74	149.90
9	कर्नाटक	78.67			39.38		39.38	39.38
10	केरल	90.00	15.20		26.12	13.27	54.59	54.59
11	मध्य प्रदेश	872.65	260.37	147.09		6.32	413.79	413.79
12	महाराष्ट्र	405.89	15.17	139.56	43.37		198.10	198.10
13	मणिपुर	120.80	5.85	34.86	33.04	12.13	85.88	85.88
14	मेघालय	275.73		97.84	87.79	1.26	186.89	185.69
15	मिजोरम	45.63		34.62		6.03	40.65	37.68
16	नागालैंड	64.06	4.93	34.29			39.23	39.23
17	ओडिशा	524.76	76.36	168.41			244.77	224.90
18	पंजाब	1.77				0.36	0.36	0.36
19	राजस्थान	571.91		102.94	76.40	71.47	250.81	250.81
20	सिक्किम	2.24			0.53	1.15	1.67	1.67
21	तेलंगाना	35.05			15.38		15.38	15.38
22	त्रिपुरा	417.54		236.67	8.11	0.27	245.05	240.24
23	उत्तर प्रदेश	6188.24	864.01	522.61	25.76		1412.37	1412.37
24	उत्तराखंड	149.35	13.30	22.42	6.83		42.55	40.09
25	पश्चिम बंगाल	259.06	13.71	73.20	20.28	15.92	123.10	119.00
	कुल	**14017.41**	**1540.63**	**2708.83**	**696.13**	**224.34**	**5169.93**	**5100.57**

टिप्पणी - जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त आंकड़े

****

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 04.02.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 680 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (31.12.2020 तक) के दौरान डीडीयूजीजेवाई (अतिरिक्त अवसंरचना सहित) के तहत संस्वीकृत परियोजना लागत का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (31.12.2020 तक)	कुल
1	अरुणाचल प्रदेश	-	292.13	-	142.42	434.55
2	असम	-	1,493.57	-	-	1,493.57
3	बिहार	-	644.36	-	800.39	1,444.75
4	छतीसगढ़	-	83.64	-	-	83.64
5	हरियणा	-	30.31	-	-	30.31
6	हिमाचल प्रदेश	-	8.68	-	-	8.68
7	जम्मू व कश्मीर	-	875.03	-	-	875.03
8	झारखंड	-	1,077.70	-	-	1,077.70
9	कर्नाटक	-	126.74	-	-	126.74
10	मध्य प्रदेश	-	998.64	-	-	998.64
11	महाराष्ट्र	-	368.92	-	-	368.92
12	मणिपुर	-	60.27	70.05	-	130.32
13	मेघालय	-	381.33	-	-	381.33
14	मिजोरम	-	31.65	21.93	-	53.58
15	नागालैंड	-	28.31	51.99	-	80.30
16	ओडिशा	-	508.63	-	-	508.63
17	पंजाब	191.00	-	-	-	191.00
18	राजस्थान	-	1,127.74	-	-	1,127.74
19	सिक्किम	-	37.36	-	-	37.36
20	त्रिपुरा	-	358.64	-	-	358.64
21	उत्तर प्रदेश	-	6,289.57	-	-	6,289.57
कुल		**191.00**	**14,823.22**	**143.97**	**942.81**	**16,101.00**

टिप्पणी - जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त आंकड़े

****

अनुबंध-IV

लोक सभा में दिनांक 04.02.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 680 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान (31.12.2020 तक) डीडीयूजीजेवाई जारी की गई और उपयोग की गई राशि राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	31.12.2020 तक जारी की गई निधि					निधियों का उपयोग
		2017-18	*2018-19*	*2019-20*	*2020-21*	*अनुदान*	
1	आंध्र प्रदेश	165	177	8	8	359	359
2	अरूणाचल प्रदेश	81	160	37	32	309	277
3	असम	408	1082	661	66	2217	2105
4	बिहार	763	2412	682	659	4516	4516
5	छत्तीसगढ़	552	79	58	13	702	695
6	गुजरात	143	181			324	324
7	हरियाणा	45	22	50	4	121	121
8	हिमाचल प्रदेश		15	40		54	54
9	जम्मू एवं कश्मीर	57	527	65	34	683	642
10	झारखंड	862	1362	610	104	2938	2910
11	कर्नाटक	204	451	283	2	940	939
12	केरल	87	57	8		152	152
13	लद्दाख	8	15	24		47	47
14	मध्य प्रदेश	598	952	375	170	2094	2048
15	महाराष्ट्र	143	482	225	99	949	937
16	मणिपुर	33	41	46	15	135	118
17	मेघालय	58	155	165	26	403	389
18	मिजोरम	42	35	16	5	97	88
19	नागालैंड	24	55	24	4	107	84
20	उड़ीसा	366	1360	330	55	2112	1940
21	पंजाब	15	42	115		172	169
22	राजस्थान	782	1246	273	27	2328	2277
23	सिक्किम	18	21	9	28	76	76
24	तमिलनाडु	2	244	56		302	302
25	तेलंगाना	60	61	74		195	195
26	त्रिपुरा	62	112	47	48	269	261
27	उत्तर प्रदेश	3149	3560	946	536	8191	8038
28	उत्तराखंड	33	270	269		572	493
29	पश्चिम बंगाल	241	1281	261	114	1898	1843
30	गोवा		3	7		10	10
31	दादरा एवं नगर हवेली		1			1	1
32	पुद्दुचेरी		0	5		5	5
33	अंडमान और निकोबार	1			2	3	1
	कुल योग	**9002**	**16460**	**5767**	**2053**	**33282**	**32414**

****